


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान रमेश कुमार बनाम कंचन आदि
 प्रकरण संख्या 38 / 2020 अन्तर्गत धारा 212 RTI

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ए जो इस पालना
4 ⁰³ 24	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथना पत्र हेतु समर्थ यात्रा। 12 की अवधि आगामी पेशी तक बगरी जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथना पत्र दिनांक 22/03/24 को पेश हो।	
21 ⁰³ 24	वकील फरीकन उपस्थित श्रीमान् PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 27/3/24 को पेश हो। <u>Kamran</u>	
27 ⁰³ 24	अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राथना पत्र हेतु समर्थ यात्रा। पत्रावली वास्ते जवाब प्राथना पत्र दिनांक 28/03/2024 को पेश हो।	
28 ⁰³ 24	अधिवक्तागण उपस्थित। हस्तगत प्रकरण के मूलवाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्राथी का प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अन्वयायी विवेधाज्ञा दिनांक 12/02/20 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निष्पत्ति होकर वास्ते से कार्य होकर दाखिल इफतार हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर